



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND GOMTI NAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA LUCKNOW

WARD :
PERMIT NO. : MAP-20190528123140277
SITE OF : COMMERCIAL/OFFICE
NAME : M/S PURVANCHAL PROJECTS PVT. LTD.
ADDRESS : 3/247 VISHAL KHAND, GOMTI NAGAR LUCKNOW.

PRINT DATE - 16/12/2019
FILE NO. NR-141/AA/M.CELL/19
SCHEME : GOMTI NAGAR
PROPERTY: T.C.A-1, VIBHUTI KHAND
GOMTI NAGAR, LUCKNOW.

Sanction vide order dated 01/10/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 30/09/2024

Restriction if required : पृष्ठ भाग पर अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।


Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P.

प्रतिबन्ध

1. निर्माण पूर्ण करने के पश्चात प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, तत्पश्चात भवन के उपयोग आदि की अनुमति दी जायेगी।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था शासनादेश के अनुसार करना होगा।
3. अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्केपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
5. भूस्वामित्व एवं चौहददी के वाद विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
6. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
7. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
8. यह स्वीकृति मात्र व्यवसायिक/कार्यालय निर्माण हेतु मान्य है, अन्य निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
9. निर्माण के भूकम्प विरोधी होने सम्बन्धी भवन उपविधि में प्राविधानित स्ट्रक्चरल, प्रमाण पत्र का पालन करना होगा।
10. पार्किंग क्षेत्र में केवल पार्किंग का प्राविधान करना होगा, अन्यथा उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
11. मानचित्र में दर्शित डबल लेयर पार्किंग को स्थापित करना अनिवार्य है तदोपरान्त ही एफ.डी.आर. अवमुक्त की कार्यवाही की जायेगी।
12. बेसमेंट का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व खनन विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, एवं निर्माण के समय अगल-बगल की सम्पत्ति की सुरक्षा का समस्त उत्तरदायित्व पक्ष/निर्माणकर्ता का होगा।
13. स्थल पर पक्ष को निर्माण के समय इस आशय का एक सूचनापट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित हो।
14. निर्माण करते समय भूस्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गड्ढे न हो तथा उसमें जल-भराव न हो।
15. स्माग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये अथवा तिरपाल आदि से ढक कर रखा जाना होगा।
16. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता तो उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।